न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 69/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/164

प्रार्थी:– विरेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह, जाति राजपूत निवासी रावली पोल बडी, तहसील मारवाड़ जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. चेनाराम पुत्र कानाराम जाति सिरवी निवासी बडी तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
2. पुकाराम पुत्र कानाराम जाति सिरवी निवासी बडी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के कायम मुकाम –
   2/1 राजाराम पुत्र पुकाराम जाति सिरवी निवासी बडी हाल निवासी जैतपुरा तहसील मारवाड जंक्शन
3. ग्राम पंचायत चिरपटिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चिरपटिया
4. श्रवणसिंह चम्पावत पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी बडी के विधिक वारिसान–
   4/1 गुलाबकंवर पत्नी स्व. श्रवणसिंह
   4/2 हर्षवर्धन सिंह पुत्र स्व. श्रवणसिंह
   4/3 यशवर्धनसिंह पुत्र स्व. श्रवणसिंह
   जातिगण राजपूत निवासीगण भोमियों की पोल गांव बडी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2/1, 4/1 से 4/3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.07.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 21/79–80, संकल्प संख्या 4 दिनांक 23.06.1982 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.07.1982 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1982 में 2986 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया जबकि तत्समय ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने की अधिकारिता भी नहीं थी। जैर निगरानी भूखण्ड पर किसी भी मकान का निर्माण नहीं किया हुआ है क्योंकि बेचाणनामें में जैर निगरानी आराजी पर खाली भूखण्ड होना बताया है। अप्रार्थी ग्राम जैतपुरा का मूल निवासी नहीं है वे ग्राम आउवा से यहां आये हुये है। जैर निगरानी पट्टे की मौका निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनायी गयी क्योंकि रिपोर्ट में चिरपटिया गांव अंकित है जबकि उक्त भूखण्ड बडी गांव में हैं। जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जा सुदा नोहरा है और अप्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया अप्रार्थी ग्राम बडी का निवासी है तथा उसकी ग्राम पंचायत चिरपटिया है। जैर निगरानी आराजी पर पुराना मकान जर्जर मकान था, जिसकी ताईद में फोटोग्राफ्स पेश किये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ज़रिये पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 18.11.2020 से उक्त भूखण्ड श्रवणसिंह को बेचाण कर दिया तथा वर्तमान में जैर निगरानी आराजी पर श्रवणसिंह के वारिसानों का कब्जा है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी मीमों में जो पडौस अंकित किये है, उनके पट्टों से भी यह साबित है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जासुदा मकान हैं। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो कि विधिसम्मत है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 21/79–80, संकल्प संख्या 4 दिनांक 23.06.1982 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.07.1982 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1982 में 2986 वर्गफीट का जारी किया गया तथा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1982 में जारी किया गया और उस समय पट्टे के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोई भी बाध्यता नहीं थी, साथ ही मौके पर निर्माण कार्य होना भी आवश्यक नहीं था। इन तथ्यों के सम्बन्ध में यह सुस्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है और जहां तक नियम 266 के तहत पट्टे के क्षेत्रफल अथवा उस भूमि पर मकान होने की बाध्यता का प्रश्न है तो प्रायः पंचायत राज के तहत पट्टा जारी करते समय जमीन का क्षेत्रफल तय किया जाता हैं परन्तु इस बात का निर्धारण कि पट्टे का क्षेत्रफल 300 वगर्गज से कम होना चाहिए या नहीं, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 या उसके नियम 266 में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। यह सीमा स्थानीय प्रशासन या पंचायत की नीति या आदेशों के अनुसार हो सकती है, लेकिन नियम 266 में इस तरह की स्पष्ट

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सीमा का प्रावधान नहीं मिलता। साथ ही नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने पर पट्टाधारी को उस स्थान पर मकान निर्माण करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यदि कोई विशेष शर्त पट्टे में मकान निर्माण को लेकर जुडी हो तो वह अलग से स्पष्ट की जाती है, पर सामान्यतः मकान निर्माण की बाध्यता नहीं होती। उपरोक्त आधारों से अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि अप्रार्थी ग्राम बडी के निवासी नहीं होकर अप्रवासन व्यक्ति है तथा उनका उक्त भूमि पर पुराना कब्जा भी नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी ग्राम बडी का ही निवासी है और उक्त भूमि पर उनका पुराना कब्जा भी है, इन तथ्यों की ताईद में अधिवक्ता अप्रार्थी ने ग्राम बडी के अन्य पट्टे और वोटर लिस्ट तथा अप्रार्थी के अन्य दस्तावेज पेश किये। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में अप्रार्थी का पत्ता ग्राम बडी का अंकित है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी निगरानी मीमों में जैर निगरानी आराजी के उत्तर दिशा में निगरानीकर्ता के पिता शैतानसिंह का मकान, दक्षिण दिशा में नारायण पुत्र डाया का मकान, पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में बस्तीमल व कोला सिरवी का मकान होना अंकित किया है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पट्टा संख्या 1780 दिनांक 06.12.2002, जो कि ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा शैतानसिंह के पक्ष में जारी हो रखा है, के पडौस के रूप में दक्षिण दिशा में चैनाराम पुत्र कानाराम वगैरा का मकान अंकित है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में अंकित पडौस बस्तीमल के पुत्रों के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 23.01.1983 के पडौस पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा में अंकित पडौस नारायण पुत्र डाया के भाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.12.2010 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान अंकित है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1981 में राईग पुत्र पदाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 के दक्षिण दिशा में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का मकान अंकित है। लिहाजा उपरोक्त समस्त पडौस के पट्टों से यह जाहिर है कि मौके पर अप्रार्थी का कब्जाशुदा मकान था। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी के कथन प्रमाणित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों के अनुरूप है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियम 256 के तहत आबादी भूमि में स्थित मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर भूमि की पहचान हेतु उसके पडौस अंकित किये। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 13.02.1980, जो कि प्रथम आदेशिका थी के द्वारा भूमि का नक्शा तथा तीन पचों को नामित कर मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये। जिसकी पालना में नियम 257 के

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

तहत प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार किया गया, जिस पर नक्शा बनाने वाले, सायल के हस्ताक्षर हैं तथा मौका निरीक्षण हेतु नामित पंचों द्वारा नियम 258(2) के तहत "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट करते हुये अपनी राय कायम करते हुये भूमि निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तीन पंचों तथा सरपंच के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन कि मौका रिपोर्ट पर भूमि के स्थान का नाम चिरपटिया अंकित है, जब पट्टा जारी किये जाने में सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालना किया हो तो मात्र लिपिकीय त्रुटि के आधार पर अंकित स्थान के नाम के आधार पर किसी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य है। हस्तगत प्रकरण में कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र व्यक्ति के बयान लिये गये तथा नियम 260 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जिसकी पुश्त पर सहजदृश्य स्थान पर नोटिस चस्पानगी के सम्बन्ध में दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को पट्टा जारी करते समय पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की पालना की है। इस प्रकारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 21/79–80, संकल्प संख्या 4 दिनांक 23.06.1982 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.07.1982 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)